

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.)  
National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)  
(An ISO/IEC 27001:2022 Certified Organisation)  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India

एनएचक्यू-13015/1/2025-नाइलिट(ई-3154210)/537

दिनांक: 14 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2024 हेतु ऑनलाइन मोड में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) भरे जाने संबंधी संशोधित समय-सीमा विषयक।

वर्ष 2024 के लिए, नाइलिट के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तालिका में उल्लिखित संशोधित समयसीमा के अनुसार अपने एपीएआर फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना आवश्यक है। सभी अधिकारी/ कर्मचारी अपने विशिष्ट आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए एपीएआर पोर्टल पर लॉग-इन करके इस लिंक <https://apar.nielit.in/index> पर ऑनलाइन एपीएआर फॉर्म भर सकेंगे। वर्ष 2024 के लिए, नाइलिट के समस्त कर्मिकों द्वारा ऑनलाइन एपीएआर फॉर्म भरने हेतु निम्नवत रूप से समय-सीमा का पालन किया जाना है:

| ई-एपीएआर पूर्ण रूप से भरने हेतु कैलेंडर (संशोधित समय-सीमा) |                                                                                                                 |                                                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| क्रमांक                                                    | गतिविधि                                                                                                         | वह तिथि जिसके अंतर्गत गतिविधि पूर्ण की जानी है।                |
| 1                                                          | कैलेंडर वर्ष एपीएआर                                                                                             | 2024                                                           |
| 2                                                          | कर्मिक द्वारा एपीएआर फॉर्म का मूल्यांकन एपीएआर पोर्टल पर किया जा सकता है।                                       | 20 मार्च, 2025                                                 |
| 3                                                          | स्थानीय व्यवस्थापक द्वारा संपादन/ सुधार अनुरोध एवं अनुमोदन।                                                     | 29 अगस्त, 2025                                                 |
| 4                                                          | जिस अधिकारी के विषय में रिपोर्ट दी जानी है, उसके द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना। | 09 सितंबर, 2025                                                |
| 5                                                          | रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।                                             | 18 सितंबर, 2025                                                |
| 6                                                          | समीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट पूर्ण की जाएगी तथा प्रशासन को भेजी जाएगी।                                        | 29 सितंबर, 2025                                                |
| 7                                                          | जहां कोई स्वीकार करने वाला प्राधिकारी नहीं है, वहां रिपोर्ट किए गए अधिकारी का प्रकटीकरण।                        | 8 अक्टूबर, 2025                                                |
| 8                                                          | संबंधित कर्मचारी से एपीएआर पर अभ्यावेदन की प्राप्ति, यदि कोई हो।                                                | 22 अक्टूबर, 2025                                               |
| 9                                                          | सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन अंग्रेषित करना।                                                                   | 07 नवंबर, 2025                                                 |
| 10                                                         | सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान।                                                                    | 05 दिसंबर, 2025 (अभ्यावेदन प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर) |
| 11                                                         | एपीएआर सेल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की सूचना।                                    | 22 दिसंबर, 2025                                                |
| 12                                                         | संपूर्ण एपीएआर प्रक्रिया की समाप्ति, जिसके पश्चात एपीएआर को अंततः रिकॉर्ड में ले लिया जाएगा।                    |                                                                |

2. इस कारण से, समस्त कर्मिकों को हिदायत दी जाती है कि, वे नोडल अधिकारी/ रिपोर्ट देने वाले अधिकारी/ रिपोर्टिंग अधिकारी/ समीक्षा अधिकारी आदि के रूप में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका/ क्षमता के अनुसार ऑनलाइन एपीएआर फॉर्म भरने हेतु उपरोक्त समय-सीमा का ध्यानपूर्वक पालन करें।

3. समस्त कार्यकारी निदेशक/ निदेशक/ प्रभारी निदेशक से अनुरोध है कि, वे अपने नियंत्रणाधीन नाइलिट केंद्र में उपर्युक्त निर्देशों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करें ताकि, उनका समुचित अनुपालन हो सके। कृपया ध्यान दें कि, एपीएआर फॉर्म भरे जाने में किसी भी प्रकार से विलंब, जैसे; स्व-मूल्यांकन टिप्पणी करना/ एपीएआर को अगले स्तर पर अग्रेषित करना, जो, आगे निर्धारित समय-सारिणी के भीतर एपीएआर को पूर्ण करने की प्रक्रिया में भी विलंब करेगा, अतएव, इसका यथासमय पालन किया जाना चाहिए।

4. उपर्युक्त कार्यान्वयन के दौरान किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में, नोडल व्यवस्थापक श्री विकास मित्तल, वैज्ञानिक 'डी', नाइलिट मुख्यालय (vikas@nielit.gov.in) से संपर्क करेंगे, तथा किसी भी प्रशासनिक प्रश्न हेतु नोडल व्यवस्थापक श्री अभिनव रस्तोगी, प्रशासनिक अधिकारी, नाइलिट मुख्यालय (abhinav.r@nielit.gov.in) से संपर्क करेंगे।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

24/08/2024

(डॉ. एस.के. धुरंधर)

कुलसचिव

सेवा में,

1. समस्त नाइलिट केन्द्रों/ विस्तार केन्द्रों के प्रमुख:- आवश्यक कार्रवाई एवं कर्मिकों के बीच प्रसार हेतु।
2. मुख्यालय के समस्त पदाधिकारी
3. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शाखा- तदनुसार, वेबसाइट में अपडेट करने के अनुरोध सहित।
4. गार्ड फाइल

कृपया, सूचनार्थ प्रतिलिपि:

महानिदेशक, नाइलिट मुख्यालय के स्टाफ अधिकारी

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केन्द्र :           | अगरतला, आइजॉल, औरंगाबाद, अजमेर, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, दमन, दिल्ली, गंगटोक, गोरखपुर, गुवाहाटी, हरिद्वार, इम्फाल, ईटानगर, कोलकाता, कोहिमा, कुरुक्षेत्र, लेह, पटना, रांची, रोपड़, शिमला, शिलांग और श्रीनगर                                                |
| विस्तार केन्द्र :   | बीकानेर, बक्सर, चंडीगढ़, चुचुइमलांग, चुराचंदपुर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, ईस्ट दिल्ली, जम्मू, जोरहाट, कारगिल, कोकराझार, लखनऊ, लुंगलेई, मंडी, माजुली, मुजफ्फरपुर, नोएडा, पाली, पासीघाट, सेनापति, सिलचर, साउथ वेस्ट दिल्ली, तेज, तेजपुर, और तुरा                   |
| Centres :           | Agartala, Aizwal, Aurangabad, Ajmer, Bhubaneswar, Calicut, Chennai, Daman, Delhi, Gangtok, Gorakhpur, Guwahati, Haridwar, Imphal, Itanagar, Kolkata, Kohima, Kurukshetra, Leh, Patna, Ranchi, Ropar, Shimla, Shillong, and Srinagar                         |
| Extension Centres : | Bikaner, Buxar, Chandigarh, Chuchuyimlang, Churachandpur, Dibrugarh, Dimapur, East Delhi, Jammu, Jorhat, Kargil, Kokrajhar, Lucknow, Lunglei, Mandi, Majuli, Muzaffarpur, Noida, Pali, Pasighat, Senapati, Silchar, South West Delhi, Tezu, Tezpur and Tura |